न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.06 / 18 🥂 संस्थित दिनांक-17.01.18

> दर्शन सिंह पुत्र सुघर सिंह आयु 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

अपीलार्थी / प्रतिवादी कं.03

विरुद्ध

- 1. श्रीमती सुन्दर बेटी पत्नी बीरेन्द्र सिंह आयु 50 वर्ष
- 2. श्रीमती गुड्डी बाई उर्फ देवी बाई पत्नी रामकुमार आयु 38 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0<u>प्रत्यर्थी / वादीगण</u>
- 3. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म०प्र०
- 4. तहसीलदार, तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0
- 5. शिवसिंह पुत्र पंचम सिंह गुर्जर आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापपुरा गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादी कं 01, 02 एवं 04

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कं0-01 एवं 02 द्वारा श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता। प्रत्यर्थी क 0-03, 04 एवं 05 अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।

> (आ दे श्रा) (आज दिनांक 15.03.18 को पारित)

यह विविध सिविल अपील न्यायालय तृतीय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग 1. दो, गोहद, जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 131ए / 2017 उनवान श्रीमती सुन्दर बेटी बनाम म0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के द्वारा वादीगण / प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए. नंबर–01) स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण / प्रत्यर्थी क्रमांक 01 2. व 02 के यह अभिवचन रहे हैं कि ग्राम प्रतापपुरा में ग्राम आबादी में भूमि सर्वे क्रमांक 159 रकवा 0.59 हेक्टे0 में से मिन क्षेत्रफल 0.30 हेक्टे0 को वादीगण के द्वारा दिनांक 03.02.11 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से पूर्व भूमि स्वामी गजेन्द्र सिंह आदि से क्रय किया गया है तथा उक्त सर्वे क्रमांक 159 के पूर्व दिशा की ओर आधिपत्य प्राप्त किया है। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है, जिसे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादीगण विवादित भूमि की एक मात्र स्वामी तथा आधिपत्यधारी हैं। विवादित भूमि के पूर्व दिशा की ओर शासकीय सर्वे कमांक 156 एवं 157 हैं तथा उक्त भूमि तथा सर्वे कमांक 159 के उत्तर दिशा में सर्वे कमांक 161 स्थित है, जो कि ग्राम प्रतापपुरा से ग्राम गडरोली की ओर जाने वाला रास्ता है। उक्त रास्ता जहां पर समाप्त होता है, वहीं से दक्षिण दिश की ओर लगे सर्वे कमांक 156 एवं 157 शासकीय भूमि में से ग्राम प्रतापपुरा की अबादी तक पहुंचने के लिए हमेशा से परम्परागत रास्ता बना हुआ है, जिसका प्रयोग ग्रामवासी हमेशा से आवागमन हेतु करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 ने अर्थात दर्शन सिंह एवं शिवसिंह ने तहसीलदार गोहद से साजिश करके सर्वे क्रमांक 156 एवं 157 पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए, उक्त परम्परागत शासकीय रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 वादीगण की उक्त विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 159 में वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से ई चिन्ह से प्रदर्शित भाग में से होकर अवैध रूप से बल पूर्वक रास्ते का निर्माण करना चाहते हैं। इस संबंध में दिनांक 28.08.17 को प्रतिवादी कृमांक 02 तहसीलदार, कर्मचारी पटवारी, राजस्व निरीक्षक, प्रतिवादी कृमांक 03 एवं 04 के साथ विवादित भूमि पर आए और विवादित भूमि में खडी तिली के फसल नष्ट करने का प्रयास करते हुए वादीगण को धमकी देने लगे। उक्त आधारों पर विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की सहायता की प्रार्थना की गई। वादीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रकिया संहिता (आई.ए. नंबर-01) प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

- 3. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 म0प्र0 राज्य को विधिवत तामील होने पर वह प्रकरण की कार्यवाहीयों में उपस्थित होने के पश्चात अनुपस्थित हो गया, उसके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 02 को विधिवत् तामील होने के पश्चात वह भी प्रकरण की कार्यवाही में अनुपस्थित हो गया, उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से कोई जवाबदेही नहीं की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 04 शिवसिंह की ओर से भी दिनांक 08.12.17 को प्रतिवादपत्र एवं आई.ए. नंबर—1 का जवाब प्रस्तुत न किया जाना व्यक्त किया गया था, जिसके आधार पर उनका हक समाप्त किया गया था।
- अपीलार्थी / प्रतिवादीगण क्रमांक 03 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया कि उसका ग्राम आबादी में पुश्तैनी मकान बना हुआ है। दिनांक 07.07.17 को प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं उसके परिजनों ने उक्त मकान तुडवाने की धमकी दी, जिस पर से प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 गोहद के न्यायालय में दिनांक 10.07.17 को वाद प्रस्तुत किया, यदि वादीगण का कोई हित था, तो उन्हें प्रतिवादी क्रमांक 03 दर्शन सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण में कार्यवाही करनी चाहिए थी। वादीगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और शासकीय भूमि को हडपने की उद्देश्य से असत्य मानचित्र बनाकर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी कमांक 03 के द्वारा किसी परम्परागत शासकीय रास्ते में कोई अवरोध पैदा नहीं किया गया। दिनांक 28.08.17 को कोई धमकी नहीं दी गई और न ही प्रतिवादी कमांक 01 वादीगण के खेत पर गया। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी कमांक 03 की ओर से आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए. नंबर-01) को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
- 5. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया कि राजस्व निरीक्षण वृत्त—02 गोहद की ओर से एस.डी.ओ. गोहद को प्रेषित

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख है कि ग्राम प्रतापपुरा के शासकीय भूमि सर्वे कमांक 156 एवं 157 का प्रतिवादी कंमांक 03 दर्शन सिंह पुत्र सुघर सिंह द्वारा मकान बनाकर तथा प्रतिवादी कंमांक 04 शिवसिंह पुत्र पचम सिंह द्वारा पशु बांधकर ग्राम प्रतापपुरा की अबादी क्षेत्र में जाने वाले परम्परागत मार्ग में अवरोध कारित किया गया है। सर्वे कंमांक 156 एवं 157 की भूमियां शासकीय भूमि के रूप में दर्ज हैं। एस.डी.ओ. गोहद द्वारा टीप अंकित कर तहसीलदार गोहद से उक्त परम्परागत रास्ते में किए गए अवरोधों को हटाकर रास्ता चालू कराने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित सर्वे कंमांक 159 में से होकर कोई परम्परागत रास्ता आम जन के अवागमन के विद्यमान हो, यह मान्य करते हुए वादीगण का प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित माना है और वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी / वादी की ओर से यह विविध सिविल अपील की गई।

अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से अपनी अपील एवं तर्क में 6. प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2017 अवैधानिक होकर रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतिक्रमण वादीगण श्रीमती सुन्दरबेटी एवं गुड्डी बाई ने किया है। वादीगण / प्रत्यर्थी कमांक 01 व 02 अपनी भूमि की आड़ में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए है, जिससे रास्ता निकल सकता है। वादी के द्वारा दावा पेश करने पर प्रत्यर्थी कमांक 01 शिवसिंह ने सजिश करके सुन्दर बेटी एवं गुड्डी बाई की ओर से भूमि सर्वे कमांक 159 रकवा 0.59 में से मिन रकवा 0.30 हेक्टे0 ग्राम प्रतापपुरा की भूमि स्वामी होने के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कराया है। इस कारण इस प्रकरण में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इन तथ्यों पर विचारण ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में है, वादीगण / प्रत्यर्थी कमांक 01 व 02 के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुए वादीगण का आवेदन स्वीकार कर अपीलार्थी / प्रतिवादी कमांक 03 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी भूल कारित की है।

उक्त आधारों पर वादीगण / प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा—151 जा0दी0 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। जबिक वादीगण / प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि विवादित भूमि वादीगण के स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है और न ही उक्त भूम पर रास्ता निर्मित करने का अधिकार है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 7. इस विविध सिविल अपील में प्रत्यर्थी क्रमांक 03 लगायत 05 अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 01, 02 एवं 04 को विधिवत् तामील होने के पश्चात वे प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित हो गए उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया।
- 8. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने से इस विविध सिविल अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:--

क्या विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद कमांक 131ए / 17 में पारित आदेश दिनांक 21.12.17 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

—ः: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

9. उभयपक्ष को सुने जाने एवं विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के मूल व्यवहार वाद के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादीगण के द्व ारा जो विक्रयपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें गजेन्द्र सिंह एवं अन्य तीन व्यक्तियों ने सुन्दर बेटी एवं गुड्डी बाई को 0.30 हेक्टे0 के हिस्से को वादीगण सुन्दर बेटी एवं गुड्डी बाई को दिनांक 03.02.11 को विक्रय किया है। विक्रयपत्र में यह उल्लेख है कि उक्त सर्वे क्रमांक 159 के संपूर्ण रकवा 0.59 हेक्टे0 में से गजेन्द्र सिंह एवं बलवीर सिंह का 1/3 हिस्सा है तथा तर्जन सिंह एवं त्रिवेणी बाई का 1/3 हिस्सा है। जहां कि 0.30 हेक्टे0 की

भूमि विक्रय की गई है, वहां स्पष्ट है कि गजेन्द्र सिंह एवं बलवीर सिंह के द्वारा उसमें से आधा हिस्सा अर्थात 0.15 हेक्टे0 तथा तर्जन सिंह एवं त्रिवेणी बाई के द्वारा 0.15 हेक्टे0 हिस्सा विक्रया किया जाना मान्य किया जाएगा। स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 159 रकवा 0.59 हेक्टे0 में वादीगण, गजेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, तर्जन सिंह एवं त्रिवेणीबाई तथा और अन्य सहस्वामी हो जाते हैं / विक्यपत्र में कोई भी नक्शा संलग्न नहीं किया गया है कि कौन सी भूमि का कौन सा हिस्सा विक्रय किया गया है। विक्रयपत्र में भूमि की लंबाई उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व दिशा की ओर फतेह सिंह व दर्शनसिंह के मकान से लगा हुआ भाग दर्शाया गया है, परंतु जहां कि भूमि सहस्वामित्व की है, वहां किसी विशिष्ट अंश भाग का विक्रय होना मान्य नहीं किया जा सकता, केवल हिस्से को विक्रय किया जाना मान्य किया जा सकता है। उक्त आधार पर, जहां कि बंटवारा ही नही हुआ है, वहां भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर वादीगण का आधिपत्य होना भी मान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह निश्चित ही नहीं है कि वादीगण का एकाकी रूप से सर्वे क्रमांक 159 के पूर्व दिशा में ही कब्जा है, अपितु उक्त संपूर्ण भूमि में सभी सहस्वामियों का आधिपत्य होना मान्य किया जाएगा, जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाता। यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है।

- 10. मूल अभिलेख का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट है कि म०प्र० शासन एवं तहसीलदार गोहद को वादी ने पक्षकार बनाया है तथा उसके विरुद्ध भी सहायता चाही गई है। धारा—80 जा०दी० के तहत नोटिस देने का उल्लेख भी किया है, उसके बावजूद भी वाद में प्रतिवादी क्रमांक 01 म०प्र० शासन को विधिवत तामील होकर वह प्रकरण की कार्यवाहियों में उपस्थित होकर बाद में अनुपस्थित हो गया है। प्रतिवादी क्रमांक 02 तहसीलदार को भी विधिवत् तामील होकर वह प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहे और इस विविध सिविल अपील में भी विधिवत् तामील होकर वह अनुपस्थित रहे है। जिससे कि प्रकट है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 म०प्र० शासन एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 को वादीगण के आवेदन पर कोई भी आपत्ति नहीं है।
- 11. प्रस्तुत किए गए खसरे की फोटोप्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 154, 156, एवं 157 को शासकीय खलियान के रूप में

बताया गया है, जिसमें से सर्वे कमांक 157 पर अतिक्रमण दर्शाया गया है। सर्वे कमांक 158 पर शासकीय घूरा बताया गया है। वादीगण की ओर से सर्वे कमांक 161 को रास्ता बताया गया है, जबिक खसरे एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.07.17 के अनुसार सर्वे कमांक 162 को शासकीय रास्ते के रूप में बताया गया है।

- 12. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पंचनामे की फोटोप्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि गांव वासियों का पंचनामा किसी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि ग्राम प्रतापपुरा के ग्रामवासी ग्राम पंचायत गडरोली में आते हैं और उनके लिए मुख्यालय पर जाने के लिए ग्राम प्रतापपुरा से कोई रास्ता नहीं है, पहुंचने के लिए आम रास्ते की तत्काल व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई है। इस पंचनामें में यह उल्लेख ही नहीं है कि पूर्व से कोई रास्ता था और उसे बंद कर दिया गया, अपितु यह उल्लेख है कि कोई रास्ता नहीं है आम रास्ते की तत्काल व्यवस्था की जावे।
- 13. फील्डबुक के नक्शे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जिस रास्ते का उल्लेख किया जा रहा है, वह रास्ता केवल सर्वे क्रमांक 156 तक आया है। सर्वे क्रमांक 157 में रास्ता नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.07.17 एवं पंचनामा दिनांक 07.07.17 एवं नजरी नक्शे से भी पुष्टि होती है। पंचनामे में यह उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 162 के रास्ते की राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी द्वारा जांच की गई, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। यह भी उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 156, 157, 154 खिलयान के रूप में तथा 158 घूरे के रूप में दर्ज है, जो शासकीय है। मौके पर दर्शन सिंह पुत्र सुघर सिंह का मकान 120x50 एवं 157 में फतेह सिंह पुत्र महाराज सिंह का 120x40 का मकान व खाली जगह है, जो आधिपत्य में है।
- 14. पंचनामें में यह भी उल्लेख है कि बुद्धे सिंह पुत्र बेदरी सिंह, डरूसिंह पुत्र सुघर सिंह शिवसिंह पुत्र पंचमसिंह का भी आधिपत्य है। जिसमें बुद्धसिंह की झोपडी व पशु बांधने की जगह है, डरू सिंह खाली जगह का उपयोग करता है, शिवसिंह के द्वारा पशु बांधकर आधिपत्य किया गया है। इन तथ्यों

की पुष्टि उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे से होती है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 154, 156 एवं 157 तथा 158 में जो कि शासकीय हैं प्रतिवादी क्रमांक 03 दर्शनसिंह के साथ साथ प्रतिवादी शिवसिंह एवं अन्य ग्राम वासियों ने कब्जा किया हुआ है।

- स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमांक 03 के द्वारा शासकीय रास्ते पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, अपितु राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.07. 17 के अनुसार उसके द्वारा अन्य ग्राम वासियों के साथ साथ शासकीय खलियान में पक्का मकान बनाकर कब्जा किया गया है, जिसे कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा परम्परागत रास्ते में अवरोध के रूप में बताया है। परंतु फील्डबुक के नक्शे के अनुसार उक्त रास्ता सर्वे कमांक 162 में होकर रास्ता केवल सर्वे क्रमांक 156 तक है। नजरी नक्शा एवं पटवारी द्वारा तैयार किए गए नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि शासकीय रास्ता केवल सर्वे क्रमांक 156 तक आया है, उसके बाद शासकीय रास्ता नहीं है। यदि ग्रामवासी या प्रतिवादी किसी वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कराना चाहते हैं या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 अपने कर्मचारियों के माध्यम से कोई वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहते हैं, तब उन्हें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही अनुसरण करना होगा। यद्यपि उक्त विशिष्ट भूमि अर्थात पूर्व दिशा के अंश भाग पर एकाकी रूप से आधिपत्य वादीगण का ही होना प्रकट नहीं है, उस पर सभी हिस्सेदारों का आधिपत्य होना प्रकट है, परंत् फिर भी किसी व्यक्ति की भूमि के किसी भी हिस्से में से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा रास्ते का निर्माण कर दिया जाए या रास्ता बना दिया जाए तो निश्चित ही उसके हक व अधिकार प्रभावित होंगे। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा व्यक्त नहीं किया गया है कि रास्ते के लिए उक्त भूमि का विधिवत् अधिगृहण कर लिया है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया मामला होना प्रकट और प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होना प्रकट नहीं होता है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है।
- 16. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के संबंध में वादी के कब्जे एवं बर्ताव से रोके जाने तथा मार्ग का निर्माण न किए जाने का आदेश देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की

गई है। परंतु उक्त आदेश में विधि की सम्यक् प्रक्रिया के अनुसार ही रास्ते का निर्माण किए जाने का संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस कारण विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2017 इस सीमा तक संशोधित किए जाने योग्य है।

- 17. अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.17 में संशोधन करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी क्रमांक 03, 04 एवं 05 तथा अपीलार्थी वादीगण/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 159 रकवा 0.30 हेक्टे0 में वादीगण के कब्जा एवं बर्ताव में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा बल पूर्वक हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न करें और न ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा बल पूर्वक किसी रास्ते का निर्माण करे।
- 18. यह मूल व्यवहार वाद अंतिम तर्क हेतु नियत है अतः इस आदेश का प्रभाव आगामी 15 दिवस तक अथवा प्रकरण के निराकरण तक, जो भी कम हो, रहेगा। इस दौरान उभयपक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत कर मूल व्यवहार वाद का शीघ्र निराकरण करावे।
- 19. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
- 20. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड